न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनीय आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 13/23 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2023/123

उनवान

1. मुरारीलाल
2. जवाहर सिंह
3. गोरधन सिंह
4. कुँवर सिंह
5. सरदार सिंह

} पुत्रगण रामकिशन जाति धाकड निवासी गोठरा तह0 वैर जिला भरतपुर।

6. विमला पुत्री रामकिशन पत्नी मान सिंह
7. मौहरबाई पुत्री रामकिशन पत्नी नरेश

} जाति धाकड निवासी भोपर तह0 वैर जिला भरतपुर।

8. मंजू पुत्री ऊदल पत्नी ईश्वरदास जाति धाकड निवासी ऐचोली तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रामचरन पुत्र स्व0 कंचन
2. ईश्वरीप्रसाद
3. दयाल

} पुत्र गिर्राज } जाति धाकड निवासी गोठरा तह0 वैर जिला भरतपुर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब वैर।
5. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भुसावर जरिये प्रबंधक।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी वैर दि0 05.09.2023 प्र.सं. 87/16 रामचरन बनाम मुरारीलाल।

उपस्थित :–

1. श्री दिनेश शर्मा वकील अपीलांट।
2. श्री पंकज कुमार वकील रैस्पो0।

निर्णय दिनांक–28.01.2025

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.09.2023 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 संख्या 01 ने एक दावा अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट एवं शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम गोठरा तहसील वैर व जिला भरतपुर में वादी

भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

रैस्पो0 संख्या 01, 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार है एवं उसी अनुसार काबिज काश्त है। उक्त आराजी कस्टोडियन आराजी है, जो कि संवत 2010 से पूर्व ही वादी रैस्पो0 संख्या 01 कंचन व तरतीवी रैस्पो0 संख्या 02 व 03 के पितामह खुन्नी की काश्त में आ गयी एवं दोनों निस्फ भाग पर काश्त करने लगे। जिसके इंद्राज भी संवत 2010 की खसरा गिरदावरी में दर्ज हैं एवं संवत 2012 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने तक चले। परन्तु प्रतिवादी अपीलाण्ट के पूर्व पुरूष ने संवत 2013 में बंदोबस्त कर्मचारियो से साज कर विवादित आराजी में वादी रैस्पो0 संख्या 01 के पिता कंचन के निस्फ हिस्से में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से स्वयं को व वादी के पिता कंचन को वाहिस्सा बराबर का इंद्राज दर्ज करवा दिया। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी में स्वयं को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.09.2023 से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि दावे में अधीनस्थ न्यायालय को दावा सुनने का क्षेत्राधिकार है अथवा नहीं का कोई उल्लेख नहीं है। रैस्पो0 ने विवादित आराजी के सहखातेदार रैस्पो0 संख्या 02 व 03 को डिलिट करवा दिया जबकि सहखातेदार के बिना दावा पोषणीय ही नहीं था। अपीलाण्ट के पूर्व पुरूषो का खसरा गिरदावरी संवत 2005–2008 में नाम है। जिससे सिद्ध होता है कि अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं वादी रामचरन ने जिरह में विवादित आराजी में अपीलाण्ट का हिस्सा स्वीकार किया है। कस्टोडियन भूमि पर 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा नहीं लाया जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि से वर्जित है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 2018 पेज 202, आरबीजे 2019 पेज 502, 2015 पेज 474 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। यह है कि सहखातेदार को इसलिये डिलिट करवा दिया क्योंकि उनसे रैस्पो0 को कोई अनुतोष नहीं चाहिये था। दावा विभाजन का होता तो सभी सहखातेदारो को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। सन् 2005 में कस्टोडियन के पुराने एक्ट को समाप्त कर दिया तथा सन् 2009 में नया परिपत्र आ गया है एवं उक्त परिपत्र अनुसार राजस्व न्यायालय कस्टोडियन भूमि बाबत् दावे को सुन सकती है। अपीलाण्ट का कभी भी किसी भी जमाबन्दी में नाम अंकित नहीं रहा है। अपीलाण्ट ने अपने कथनो के समर्थन में मात्र एक खसरा गिरदावरी प्रस्तुत की है एवं खसरा गिरदावरी से कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक

भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

दृष्टान्त आरआरटी 2019 पेज 202 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु पॉच तनकियॉ निर्धारित की गयी हैं एवं प्रत्येक तनकी पर कारण सहित पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से विवेचना की जाकर तनकीवार तार्किक निर्णय पारित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत 2012 लगायत 2015 में खाता संख्या 238 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 298 रकवा 5 बीघा 01 विस्वा में सरकार कस्टोडियन खुन्नी बल्द परमी निस्फ कंचन बल्द झण्डे निस्फ साकिन देह गैर– मौरूसी के इंद्राज हैं। अपीलाण्ट के इंद्राज विवादित आराजी में संवत 2016–19 में आये हैं। प्रस्तुत जमाबन्दी के आधार पर वादी रैस्पो0 विवादित आराजी खसरा नम्बर 298 रकवा 5 बीघा 1 विस्वा में निस्फ हिस्से का गैर खातेदार दर्ज था परन्तु कंचन को जमाबन्दी संवत 2016–19 में बिना किसी सक्षम आदेश के खसरा नम्बर 168 के साथ खसरा नम्बर 298 को जोडकर 1/4 हिस्से का गैर खातेदार दर्ज कर दिया। प्रतिवादीगण अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि उनके नाम विवादित आराजी पर किस प्रकार आये। यह सही है कि अपीलाण्ट के विवादित आराजी में खसरा गिरदावरी में नाम अंकित है। परन्तु खसरा गिरदावरी गिरदावरी के आधार पर स्वतः खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जहॉ तक अपीलाण्ट की यह आपत्ति कि विवादित भूमि कस्टोडियन भूमि है एवं कस्टोडियन भूमि बाबत् वाद राजस्व न्यायालय नहीं सुन सकता। हम पाते हैं कि विवादित आराजी में रैस्पो0 को अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल राजस्व अभिलेख में विधि विरूद्ध एवं बिना किसी सक्षम आदेश के हुये गलत इंद्राजो को सही किया है एवं विधि विरूद्ध इंद्राजो को सही करने एवं घोषणात्मक वाद सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है। इस प्रकार हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.09.2023 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 28.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर